

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, GOVERNMENT OF RAJASTHAN MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY क्रमांक EYE/02/2007 दिनांक 22.02.2007 की अभिशंका के आधार पर, श्री शिव सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि धरियावद, प्रतापगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 10.02.2020 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रुपये 600/- (अक्षरें रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2019-20 दिनांक : 04/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, धरियावद, प्रतापगढ़
3. प्रधानाचार्य, राउमावि धरियावद, प्रतापगढ़ को प्रार्थी श्री शिव सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी का मूल विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4. श्री शिव सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि धरियावद, प्रतापगढ़
5. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर